कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी
(स्थापना–शाखा)

पत्रांक......................../

प्रेषक,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, मधुबनी।

सेवा में,

जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी,
जिला–मधुबनी।

मधुबनी / दिनांक–........../........../2026

विषय :– सभी कोटि के शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों का अनुमान्य मकान किराया भत्ता (HRA) एवं इसकी स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग :– निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के पत्रांक–2042 दिनांक–10.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक संबंध में अंकित करना है कि जिले में पदस्थापित एवं कार्यरत सभी कोटि के शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी के आवास भत्ता अनुमान्यता एवं स्वीकृति के संबंध में विद्यालय एवं प्रखंड स्तर पर स्पष्टता नहीं होने के कारण कई शिक्षकों द्वारा इस संबंध में लगातार शिकायत दर्ज की जा रही है। वित्त विभाग के संकल्प सं०–6485 दिनांक–18.06.2024 के द्वारा मकान किराया भत्ता के दर में संशोधन किया गया, जो अद्यतन लागू है।

अंकनीय है कि अनुमान्य शहरी आवास भत्ता की स्वीकृति "बिहार राज्य कर्मचारी (मकान भाड़ा भत्ता) नियमावली 1980 एवं समय–समय पर इस संबंध में निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक मे इसकी स्वीकृति दी जाती है। विभागीय पत्रांक–1150 दिनांक–24.04.1986 एवं ज्ञापांक–1447 दिनांक–22.12.2022 के द्वारा वर्द्धित दर से शहरी आवास भत्ता स्वीकृति की प्रक्रिया एवं इसके लिए सक्षम प्राधिकार (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का निदेश संसूचित है। प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा आवास भत्ता स्वीकृति के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है।

इस क्रम में बिहार राज्य कर्मचारी (मकान किराया भत्ता) नियमावली 1980 के नियम–4 (ख)(ii) अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रावधनित है कि "यदि किसी सरकारी सेवक का कार्य–स्थल किसी अहर्रक नगर के समीप हो, किन्तु अनिवार्यतः उसे नगर में रहना पड़ता हो तो उसे उस नगर के लिए अनुमान्य मकान भाड़ा भत्ता दिया जा सकेगा। इस खंड के अधीन इस भत्ते की स्वीकृति हेतु प्रशासी विभाग अपने अधीनस्थ कर्मियों के मामले में प्राधिकृत है, परंतु उसकी संतुष्टि हो जाय कि – (1) कार्य–स्थल एवं अहर्रक नगर के नगरपालिका सीमा के परिधि के बीच की दूरी 08 किलोमीटर से अधिक नहीं है और (2) सम्बद्ध कर्मी को अनिवार्यतः अर्थात कार्य–स्थल के नजदीक आवास की कमी के कारण, अहर्रक नगर में रहना पड़ रहा हे।" इस प्रावधान का उक्त नियम के टिप्पणी–1 में यह स्पष्ट किया गया है कि नियम–4 (ख)(ii) केवल उन्हीं स्थानों में लागू होंगे जो वर्गीकृत नगरों के नगरपालिका सीमा के 08 KM के अंतर्गत हो, किन्तु किसी नगर के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत न हो।

उक्त के आलोक में अनुमान्य शहरी आवास भत्ता एवं इसकी स्वीकृति के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जाते है :–

1. वित्त विभागीय संकल्प सं०–6485 दिनांक–18.06.2024 में निर्गत निर्देश के आलोक में जिले के सिर्फ मधुबनी शहर को वर्गीकृत श्रेणी (वर्ग–Z) में रखा गया है। अतः **मधुबनी नगर निगम परिसीमा के अंदर अवस्थित** सभी विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षकों/कर्मियों को मूल वेतन का 10% की दर से शहरी आवास भत्ता अनुमान्य किया जाय।
2. मधुबनी नगर निगम परिसीमा से 08 KM की परिधि के अंदर अवस्थित विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक/कर्मियों का वर्द्धित दर (10%) से शहरी आवास भत्ता की स्वीकृति उपरोक्त वर्णित शर्तों के अधीन सक्षम प्राधिकार से **इस आशय का स्वीकृत्यादेश निर्गत होने के उपरांत ही वर्द्धित दर से आवास भत्ता अनुमान्य होगा।** इस संबंध में संबंधित शिक्षक/कर्मी संलग्न प्रपत्र–1 में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अपने स्व–घोषणा पत्र के साथ आवेदन समर्पित कर सकते है, जिसका जिला कार्यालय स्तर पर समीक्षोपरांत वर्द्धित दर से आवास भत्ता स्वीकृत्यादेश निर्गत किया जायेगा।

3. मधुबनी जिला के मधुबनी नगर निगम के अतिरिक्त अन्य **नगर परिषद/नगर पंचायत के परिसीमा में अवस्थित विद्यालयों** में शिक्षक/कर्मी का 7.5% की दर से शहरी आवास भत्ता अनुमान्य किया जाय। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि मधुबनी शहर के अलावा जिले के अन्य सभी नगर अवर्गीकृत शहर के श्रेणी में हैं। **अतः ऐसे नगर निकाय के नगरपालिका परिसीमा से 08 KM के अंदर अवस्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/कर्मी का वर्द्धित दर से शहरी आवास भत्ता अनुमान्य नहीं है।** इस संबंध में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं विद्यालय प्रधान विपत्र में आवश्यक सुधार करते हुए जिला स्तर से सुधार संलग्न प्रपत्र–2 में इसका विवरण तीन दिनों के अंदर कार्यालय को समर्पित करेंगे।

उपरोक्त कंडिका (i) एवं (iii) यानि वैसे विद्यालय जो जिले के विभिन्न अधिसूचित नगर निकाय के **नगरपालिका परिसीमा के (इसमें 08 KM की परिसीमा की गणना नहीं की जाय)** भीतर अवस्थित है, लेकिन इन्हें संबंधित नगर के लिए अनुमान्य आवास भत्ता का भुगतान नहीं हो रहा है तो इसका विवरण संलग्न प्रपत्र–3 में समर्पित करेंगे।

अतः उपरोक्त निर्देश से सभी संबंधित शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी एवं विद्यालय प्रधान को अवगत कराते हुए इसका दृढ़ता से अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। भविष्य में इस निदेश का अवहेलना पाये जाने पर दोषी शिक्षक/प्रधान /प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, मधुबनी।

ज्ञापांक–3852 **मधुबनी, दिनांक**–22/07/2026

प्रतिलिपि– जिले के सभी प्रारंभिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी कोटि के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों/प्रधान शिक्षक/प्र0प्र0अ0 एवं प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा०शि० एवं साक्षरता), मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

22/7/26

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, मधुबनी।

22/7/26 22/7/26

प्रपत्र–I

(सिर्फ मधुबनी नगर निगम परिसीमा से 08 KM के अंदर अवस्थित विद्यालयों के लिए)

भाग–1

1. शिक्षक/कर्मी का नाम :–
2. विद्यालय का नाम :–
3. प्रखंड :–
4. शिक्षक/कर्मी की कोटि (वि०शि०/वि०अ०/प्रधान शिक्षक/प्र०अ०/सहायक शिक्षक/स्थानीय निकाय के शिक्षक/लिपिक/परिचारी/पुस्तकालाध्यक्ष :–
5. वर्ग एवं विषय :–
6. वर्त्तमान पद पर प्रथम योगदान तिथि :–
7. GPF/PRAN/UAN No. :–
8. वर्त्तमान मूल वेतन :–
9. सम्बद्ध नगर निकाय का नाम :– **मधुबनी नगर निगम**
10. मधुबनी नगर निगम से विद्यालय की दूरी (KM में) :–
11. दूरी प्रमाण–पत्र निर्गत कार्यालय का नाम (संलग्न करें) :–
12. विद्यालय के निकट आवासन नहीं होने के कारण संबंधित नगर निकाय में अवस्थित निवास का पता :– ....
    नगर निकाय का नाम :– **मधुबनी नगर निगम** वार्ड सं०–..
    मकान मालिक का नाम एवं पूरा पता :– ....
    ....

मैं .... प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना सही है। कोई भी सूचना गलत पाये जाने पर विभाग मेरे विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक शिक्षक/कर्मी का नाम
एवं हस्ताक्षर
मो०..

भाग–2

शहरी आवास भत्ता संबंधी जाँच प्रतिवेदन

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती ....
विद्यालय .... प्रखंड ....
के द्वारा विद्यालय के निकट आवास की व्यवस्था नहीं होने के कारण इनके द्वारा नगर पंचायत/परिषद .... के परिसीमा के अंदर श्री...
के मकान में आवासन किया जाता है।

विद्यालय का
ज्ञापांक....................., दिनांक.............................

ज्ञापांक....................., दिनांक.............................

प्रधान शिक्षक/प्र०अ०
का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र– II

मधुबनी नगर के अतिरिक्त अन्य नगर निकाय के परिसीमा से 08 KM तक अवस्थित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिनका **शहरी आवास भत्ता में सुधार किया जाना है,** जिसका विवरण निम्नलिखित है :–

क्र० सं०	शिक्षक/कर्मी का नाम	विद्यालय का नाम	नगर निकाय का नाम	वर्ग/विषय	GPF/ PRAN/ UAN	वर्तमान में भुगतेय हो रहे HRA	संशोधित अनुमान्य HRA @ 5%
1							5%
2							5%
3							5%
4							5%
5							5%
6							5%
7							5%
8							5%
9							5%
10							5%
11							5%
12							5%
13							5%
14							5%
15							5%
16							5%
17							5%
18							5%
19							5%
20							5%

ज्ञापांक....................., दिनांक..............................

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र– III

जिले के नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के परिसीमा के .अंदर अवस्थित विद्यालय **(परिसीमा से 08 KM वाले विद्यालय को छोड़कर)** में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी जिनका शहरी आवास भत्ता का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र० सं०	शिक्षक/कर्मी का नाम	विद्यालय का नाम	नगर निकाय का नाम	वर्ग/विषय	GPF/ PRAN/ UAN	वर्तमान में भुगतेय हो रहे HRA	संशोधित अनुमान्य HRA @ 7.5% या 10%
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

ज्ञापांक......................., दिनांक..............................

प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर